

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2021–22

रजि. नं. (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम.....

प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद.....

विषय.....

1. कार्मिक का नाम.....

2. पिता/पति का नाम.....

3. वर्तमान में धारित पद.....

(यदि धारित पद मूल पद से भिन्न हो तो उसका भी अंकन आवश्यक रूप से किया जायें)

(अ) धारित पद..... (ब) मूल पद.....

4. जन्म तिथि.....

5. गृह जिला.....

6. एम्प्लॉय आई.डी.

7. पे लेवल.....

8. वर्तमान में मूल वेतन.....

9. आवेदक का वर्तमान पता.....

10. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा— माध्यमिक/प्रारंभिक.....

11. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक.....

12. सेवानिवृत्त तिथि.....

13. दिनांक 30.11.2021 को आयु.....

14. शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं	परीक्षा का नाम	विषय	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकेण्डरी / समकक्ष				
2	हायर / सीनियर सैकेण्डरी				
3	स्नातक				
4	अधिस्नातक				

15. प्रशैक्षणिक योग्यता :—

क्र.सं	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत		श्रेणी	संलग्नक संख्या
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक		
1	बी.एड. (शिक्षा में स्नातक)				
2	एम.एड(शिक्षा में स्नातकोत्तर)				

16. सेवानियमों का नाम, जिनके अन्तर्गत वर्तमान में आप नियुक्त है:

17. सेवा संबंधी विवरण (सम्पूर्ण सेवाकाल का प्रथम तिथि से अब तक)

क्र.सं	पद	वेतन श्रृंखला	पदस्थापित स्थान	ग्रामीण / शहरी	अवधि	
					कब से	कब तक

18. वांछित पद पर दिनांक 30.11.2021 तक कुल अनुभव : वर्ष..... माह..... दिन.....

19. परियोजना में कार्य करने का अनुभव

(शिक्षाकर्मी / लोजुप / जनशाला / डीपीईपी / एसएसए / केजीबीवी).....

पद.....

कब से कब तक.....

20. यदि किसी शिक्षक-शिक्षकाओं ने माध्यमिक कक्षाओं में (कक्षा 09 से 12) अध्यापन करवाया है तो गत 03 वर्ष का उस विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम संलग्न करें।

1..... 2..... 3.....

21. पदस्थापन हेतु इच्छित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय.....

प्राथमिकता के आधार पर : 1..... 2..... 3..... 4.....

22. पुरस्कार (शैक्षिक परिक्षेत्र में जिला, संभाग, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर) : (संलग्नक—)

.....

23. अन्य विशिष्ट उपलब्धियां

शपथ पत्र

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है।
- मेरी सेवा अवधि में मुझे अब तक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत किसी प्रकार के दण्डित नहीं किया गया है तथा न ही मेरे विरुद्ध उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच लम्बित है। मैं आवासीय विद्यालय के नियमों के अनुसार कार्य करने पर सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

नाम :—

पद :—

पदस्थापित स्थान :—

बिन्दु संख्या 1 से 22 में अंकित प्रविष्टियों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर लिया गया है। शेष प्रविष्टियां अभ्यार्थी द्वारा प्रमाणित की गई हैं।

दिनांक :.....

प्रभारी के हस्ताक्षर

स्थान :.....

प्रभारी का नाम.....

**राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों (प्रधानाध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक / अध्यापिका
लेवल-2, वरिष्ठ / कनिष्ठ सहायक, छात्रावास अधीक्षक) प्रतिनियुक्ति के लिये साक्षात्कार हेतु
आवश्यक मानदण्ड / दिशा-निर्देश**

1. अभ्यर्थी आवेदन पत्र <http://minority.rajasthan.gov.in> की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम प्रतिनियुक्ति हेतु मान्य होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात् पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित / लम्बित नहीं होनी चाहिए।
5. राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएं आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
6. परीवीक्षा काल में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. यदि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्त अवधि 04 वर्ष से कम हैं तो वे शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
8. आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर आवेदन पत्र पर अपने हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका कर साक्षात्कार स्थल पर साक्षात्कार वाले दिन प्रातः 11.00 बजे तक अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर जमा करवाना होगा।
9. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, योग्यता (शैक्षिक / प्रशैक्षिक), सेवा, अन्य गतिविधि आदि से सम्बन्धित सभी दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों लगानी होंगी।
10. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज लेकर आना होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार निरस्त कर दिया जायेगा।
11. आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत, शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार समिति द्वारा किया जायेगा।
12. आवेदन पत्र में अथवा संलग्न दस्तावेजों में सें किसी भी दस्तावेज में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी समय निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
13. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा।
14. साक्षात्कार के लिये आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
15. निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि करने तथा अन्य आवश्यक व अपरिहार्य परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति के लिए किसी भी जिले (प्रतिबन्धित जिलों को सम्मिलित करते हुए) में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका इच्छित जिलों के राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में 4 वर्ष की अवधि के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जायेगा। 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति उपरान्त 1 वर्ष सेवा में विस्तार किया जा सकेगा।
17. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा पारित समर्त निर्देशों एवं अपेक्षित समर्त दायित्व का निर्वहन करना होगा।
18. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएं जो आवासीय सेवाएं दे रहे हैं, को शिविरा पंचाग के अनुसार दीर्घकालीन अवकाश (ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश) देय होंगे।
19. प्रतिनियुक्त शिक्षक-शिक्षिका एक माह में रविवार सहित अधिकतम दो दिवस के राजपत्रित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। इस अवकाश उपभोग की पूर्व शर्त होगी कि वार्डन एवं सह-वार्डन एवं विद्यालयों में समस्त शिक्षक-शिक्षिका एक साथ अवकाश नहीं ले सकेंगी।

20. वार्डन पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु एकल महिलाओं तथा परित्यक्ता, विधवा आदि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेंगी।
21. प्रतिनियुक्त शिक्षक—शिक्षिकाओं को राजकीय सेवा के दौरान प्राप्त होने वाले वेतन/भत्ते/अन्य सुविधायें आदि जारी रहेंगी। वार्डन पद के अतिरिक्त कार्यभार हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय भी देय होगा।
22. राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक—शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार अल्पसंख्यक मामलात विभाग का होगा।
23. शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव व अन्य गतिविधियों के लिये 30 अंक तथा साक्षात्कार के लिये 20 अंक का निर्धारण किया गया है।

क्र.सं.	शैक्षिक / प्रशैक्षिक व अन्य योग्यता	निर्धारण किये गए अंक			
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	
1	सैकेण्डरी / समकक्ष	5	3	1	
2	हायर / सीनियर सैकेण्डरी	5	3	1	
3	स्नातक	5	3	1	
4	अधिस्नातक	5	3	1	
5	बी.एड / एम.एड / पी.एच.डी समकक्ष	5	3	1	
6	पुरस्कार	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला स्तर	
		5	4	3	
योग		30			
साक्षात्कार का अंक		20			
कुल योग		50			

क्र.सं	पदस्थापन हेतु विद्यालयों के स्थान	रिक्त पद
1	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालक विद्यालय, (1) भणियाना ब्लॉक सांकड़ा, जैसलमेर, (2) रामगढ़, अलवर, (3) मसूदा, अजमेर	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का एक—एक पद, कुल—03 पद • प्रत्येक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक, लेवल—2, अंग्रेजी, हिन्दी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं उर्दू विषयों के एक—एक अध्यापक, कुल—18 पद • प्रत्येक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक, छात्रावास अधीक्षक के एक—एक पद, कुल—06 पद
2	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालिका विद्यालय, (1) उदयपुर शहर, (2) सीकर शहर, (3) चौहटन, बाड़मेर, (4) कन्वननेर, ब्लॉक पहाड़ी, भरतपुर, (5) नन्देरा, ब्लॉक कामां, भरतपुर	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका का एक—एक पद, कुल—05 पद • प्रत्येक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक, लेवल—2, अंग्रेजी, हिन्दी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं उर्दू विषयों के एक—एक अध्यापक, कुल—30 पद • प्रत्येक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक, छात्रावास अधीक्षक के एक—एक पद, कुल—10 पद

नोट:—रिक्त पदों की कमी या वृद्धि की नवीनतम व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबासाइट <http://minority.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।